राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः पीएस/पी.एस.आर.डी.पी.आर./2009 /295 | दिनांकः **Thursday, 20 August 2009** 24

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

महोदय,

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं मा0 राज्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मध्य हुई बैठक में निम्न निर्णय लिये गये जिनका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाये :-

1. प्रत्येक जिला कलक्टर, नरेगा के तहत किये जा रहे कार्यो का एक्शन प्लान तैयार कर जिले की प्राथमिकता तय करे; जिसमें सड़कों का निर्माण भी शामिल किया जावे।

2. वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर, सामान्य जिलों में 250 से 499 तक की आबादी, एवं मरू-स्थलीय एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के गांव, माजरे, ढाणी इत्यादि (हैबिटेशन), के लिए नवीन बी.टी. सड़कों का निर्माण नरेगा के तहत प्राथमिकता से कराया जावे।

3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूर्व में निर्मित ऐसी सड़कें जो गांवों के एक छोर पर छोड़ दी गई हैं, उनको गांवों के अन्दर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए बी.टी. सड़क निर्माण कार्य नरेगा के तहत लिये जावें। ऐसी सड़कों पर यदि सी.सी. की आवश्यकता हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वंय के स्तर से सी.सी. की व्यवस्था कराएगा।

4. "हरित सड़क" का विकास – ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रही सड़कें जैसे राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, इत्यादि जिनकी वर्तमान में चौड़ाई एक लेन अथवा कम हैं, पर यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण दुर्घटनायें घटित होने की सम्भावना बढ़ गई है, अतः उनका रखरखाव व सुदृढ़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रत्येक जिले में 100 किलोमीटर कुल लम्बाई तक की ऐसी सड़कों को चिन्हित कर मिट्टी, ग्रेवल, मैटल (डब्ल्यू.बी.एम.), सुदृढ़ीकरण, एवं ऐसी सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण (जिसमें नीम को प्राथमिकता दी जावेगी) का कार्य करेगा। इन कार्यो की स्वीकृति नरेगा के तहत जारी की जावेगी। इन सड़कों पर डामरीकरण का

कमरा नम्बर 5213, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान, भारत — 302 005

Tel [O]: +91 (141)2227132 Tel [R]: +91 (141) 2707400 Fax: +91 (141) 2385407

कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वंय के वित्तीय संसाधनों से करायेगा। ऐसी चिन्हित "हरित सड़क" पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अनुसार सूचना बोर्ड लगायेगा।

5. नरेगा के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित की जा रही सड़कों की भविष्य की आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुये सड़कों की चौड़ाई 7.50 मीटर ग्रवल, दोनो ओर एक एक मीटर मिट्टी के बर्म्स, कुल 9.50 मीटर चौड़ाई (Embankment width) स्वीकृत की जावेगी। अब तक स्वीकृत मामलों में भी तदनुसार संशोधित स्वीकृति जारी की जावे। जहां जमीन की उपलब्धता में कठिनाई आवे, ऐसे मामलों में जिला कलक्टर, संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उचित निर्णय लिया जावे। स्वीकृत राजस्व रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने में जिला प्रशासन मदद करेगा।

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवश्यकतानुसार वांछित संख्या में नरेगा श्रमिक उपलब्ध कराये जावेगें।

7. जिले में स्वीकृत सभी नरेगा कार्यो के लिए श्रम एवं सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर 60:40 रखा जावे।

उपरोक्त कार्यवाही करते समय इन कार्यों का सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुमोदित होना भी सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(जी.एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान (समस्त)।
2. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान (समस्त)।

21/8/09

परियोजना निदेशक, ईजीएस